

सं0 सं0 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में
निदेशक / अधीक्षक
फोर्ड हौस्पीटल, एड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्ण नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	माया कुमारी पिता—हेम राज सिंह ग्राम—खगौल रोड दानापुर पो०+थाना—दानापुर जिला—पटना	स्पाइन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	राम सोगारथ सिंह पिता—रोशन सिंह ग्राम—मिर्जापुर पो०—सिंधाड़ा थाना—महुआ, जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	विजय कुमार पिता—चन्द्रेश्वर प्रसाद वर्मा ग्राम—मेन रोड पकड़ीबरावां पो०+थाना—पकड़ीबरावां जिला—नवादा	बोन सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	राजन देवी पति—तपेश्वर राम ग्राम—रतनपुरा बसंत पो०—बसंत, थाना—अवतारनगर जिला—सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	अब्दुल मतीन पिता—स्व० मो० नुर ग्राम—पीपराडीह पो०—थाना—झाँझा जिला—जमुई	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	राम लखन प्रसाद पिता—स्व० चेत नारायण प्रसाद ग्राम—प्रेमन बीगहा पो०—तीना, थाना—नगर नौसा जिला—नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।

ग्र ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
— ॥ ॥ ॥

7	विशाल कुमार पिता—विनोद राय ग्राम—तेरसीया पो०—रत्नाकर, थाना—गंगावृज जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
8	राज मुन्नी देवी पति—फगुनी मांझी ग्राम—लारपुर, पो०—भद्रेजी, थाना—बोध गया जिला—गया	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
9	कमला देवी पति—राम विलास शर्मा ग्राम+पो०—जलालपुर थाना—लालगंज जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
10	जितेन्द्र साव पिता—मांझील साव ग्राम+पो०+थाना—बिक्रम जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
11	उदय राय पिता—शंकर राय ग्राम—पो०—रुसतमपुर थाना—राघोपुर जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
12	सरस्वती देवी पति—सीता राम ग्राम—हवीवलीपुर पो०—मोदनगंज थाना—घोसी जिला—जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
13	सुखारी पासवान पिता—अशर्फी पासवान ग्राम—रामपुर खुर्द पो०—करनौल थाना—साहेबगंज जिला—मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
14	सीता देवी पति—गोपीनाथ सरकार ग्राम—महाजन टोली पो०+थाना—हाजीपुर जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
15	राम बचन सिंह पिता—राम सागर सिंह ग्राम—सोनी पो०—थाना—करगहर जिला—रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।

16	मीना देवी पति—प्रमोद कुमार सिंह ग्राम—चकशरीफा पो०—अलीनगर लेवढन थाना—बलीगांव जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
17	रमेश शर्मा पिता—स्व० रामोतार शर्मा ग्राम—बेनी बीगहा पो०—थाना—गुरुआ जिला—गया	स्पाईन सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 15,21,000/-			

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,21,000/- (पन्द्रह लाख इक्कीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 211081 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम— फोर्ड हौस्पीटल एड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा ।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 211081 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - १-९-१६

ज्ञापांक - 1281 (१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वा स्थ विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३/१८८/२
१९/१८८/२

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
३/१८८/२

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
आस्था लोक हौस्पीटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उषा देवी पति—वीर चन्द्र राम ग्राम—मुस्सी पो0+थाना—मखदुमपुर जिला—जहानाबाद	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	कपुरचन्द दास पिता—स्व. जय राम दास ग्राम—पो0—पाण्डेय पट्टी थाना—मुफसिल जिला—बक्सर	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	शैला देवी पति—सच्चिदानन्द तिवारी ग्राम—पो0—देवकुली थाना—ब्रह्मपुर जिला—बक्सर	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	अरुण कुमार पिता—रघुनी प्रसाद ग्राम—रोहुआ राजाराम पो0—मुसहरी फार्म थाना—मुसहरी, जिला—मुजफ्फरपुर	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 211080 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम—“आस्था लोक अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

३१/११/१३
११/११/१३

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक संख्या 211080 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1292 (१५)

पटना, दिनांक - 2-9-16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*३/१८४/२
११९/१०
११.८८१*
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
११.८८१